उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2025
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्याः ......, वर्ष– 2025)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008, में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 है। (2) यह 01 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
धारा 5 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008, (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 5 में, – (i) उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :– "परन्तु सभा का प्रत्येक सदस्य वर्ष के अंत में रेलवे कूपन की धनराशि चालीस हजार रूपये में से रेलवे कूपन के उपभोग के उपरांत अवशेष धनराशि नकद प्राप्त करने के हकदार होंगे।" (ii) उपधारा (2) में, – (क) **"तीन लाख"** शब्दों के स्थान पर **"तीन लाख चालीस हजार"** शब्द रख दिये जायेंगे; (ख) **"बाईस हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह"** शब्दों के स्थान पर **"छब्बीस हजार रूपये प्रतिमाह"** शब्द रख दिये जायेंगे; (ग) **"तीस हजार"** शब्दों के स्थान पर **"अट्ठाईस हजार"** शब्द रख दिये जायेंगे; (घ) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– "परन्तु यह भी कि भूतपूर्व सदस्य वर्ष के अंत में रेलवे कूपन की धनराशि अट्ठाईस हजार रूपये में से रेलवे कूपन के उपभोग के उपरांत अवशेष धनराशि नकद प्राप्त करने के हकदार होंगे।"
धारा 15 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्– "15. राज्य सरकार सभा के प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, या जो सभा के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो जिसमें नेता विरोधी दल भी सम्मिलित है, को किसी भी प्रयोजन हेतु जीपीएफ की लागू ब्याज दरों पर रूपया पच्चीस लाख से अनधिक का अग्रिम ऋण स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है:

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		परन्तु यह कि अग्रिम ऋण की धनराशि दस वर्ष की समान मासिक किश्तों पर वापस अदा करनी होगी।"
धारा 20 का संशोधन	4.	मूल अधिनियम की धारा 20 में -- (i) उपधारा (1) में **"चालीस हजार रूपये"** शब्दों के स्थान पर **"साठ हजार रूपये'** शब्द रख दिये जायेंगे। (ii) प्रथम परन्तुक में **"दो हजार पॉच सौ रूपये"** शब्दों के स्थान पर **"तीन हजार रूपये"** शब्द रख दिये जायेंगे।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

कारण एवं उद्देश्यों का कथन

उत्तराखण्ड विधान सभा के मा0 सदस्यों एवं मा0 भूतपूर्व सदस्यों/भूतपूर्व विधायकों की पेंशन अतिरिक्त पेंशन एवं अन्य सुविधाओं इत्यादि के संदर्भ में उत्तराखण्ड विधान सभा के मा0 सदस्यों की सदन एवं निर्वाचन क्षेत्र, सेवा शर्तों पर विचार करने से सम्बन्धित तदर्थ समिति (2023–2024) (पंचम विधान सभा) ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में संशोधन/वृद्धि करने की संस्तुति की है। समिति की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु 'उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या: 06, वर्ष– 2008) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

The Uttarakhand State Legislative Assembly (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2025
(Uttarakhand Bill No. …... of 2025)

A
Bill

further to amend the Uttarakhand State Legislative Assembly (Members' Emoluments and Pension) Act, 2008,

It is hereby enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement	**1.**	(1) This Act may be called the Uttarakhand State Legislative Assembly (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2025. (2) It shall be deemed to have come into force from April 01, 2022.
Amendment of section 5	**2.**	In section 5 of the Uttarakhand State Legislative Assembly (Members' Emoluments and Pension) Act, 2008, (hereinafter referred to as principal Act), - **(i)** in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that at the end of the year every member of the Assembly shall be entitled to receive balance amount in cash out of the amount of railway coupon amounting forty thousand rupees after availing the railway coupon." (ii) in sub-section (2),- (a) for the words **"three lac"**, the words **"three lac forty thousand"** shall be substituted. (b) for the words **"twenty two thousand five hundred rupees per month"**, the words **"twenty six thousand rupees per month"** shall be substituted. (c) for the words **"thirty thousand"**, the words **"twenty eight thousand"** shall be substituted. (d) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided also that at the end of the year ex-member shall be entitled to receive balance amount in cash out of

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		the amount of railway coupon amounting twenty eight thousand rupees after availing the railway coupon."
Amendment of section 15	3.	For section 15 of the principal Act, the following section shall be substituted; namely- "15. The State Government may provide for grant of a advance loan, not exceeding rupees twenty five lac at the applicable interest rate of GPF, for any purpose, to any member whether or not he holds any office referred to in clause (f) of section 2, or has held any office as member of House which includes Leader of Opposition: Provided that the amount of advance loan shall be repaid in equal monthly instalments of ten years."
Amendment of section 20	4.	In section 20 of the principal Act- (i) in sub section (1), for the words "**forty thousand rupees**" the words "**sixty thousand rupees**" shall be substituted. (ii) in the first proviso, for the words "**two thousand five hundred rupees**" the words "**three thousand rupees**" shall be substituted.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of Objects and Reasons

The Ad hoc committee concerning the House, constituency, service conditions etc., of Hon'ble members'of Uttarakhand Legislative Assembly (2023-2024) (Fifth Legislative Assembly), in it's first report, has recommended to revise the pension, additional pension and other facilities etc, of the Hon'ble members and ex-members of Uttarakhand Legislative Assembly. To implement the recommendation of the committee, it is proposed to amend 'The Uttarakhand State Legislative Assembly (Members' Emoluments and Pension) Act, 2008'.

2- The proposed Bill fulfills the above objective.

Prem Chand Aggarwal
Minister

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड